न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 198 / 2019 **दायर दिनांकः 23 / 12 / 2019**

उनवान

1. कौशल्या बाई आयु 50 वर्ष पत्नि गिरिराज प्रसाद जाति धाकड निवासी करजूना तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 18 / 05 / 2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थिया ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बडौरा में खाता संख्या 101 के ख० न० 1427 का रकबा 1.45 है० प्रार्थिया के दर्ज खाता है। नवीन नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। प्रार्थिया के आने जाने का स्थाई रास्ता ख0नं0 1424 का रकबा 0.42 है0 व ख0नं0 1427 / 2575 का रकबा 0.25 है0 किस्म बीड में होकर है जिस पर प्रार्थीया अपने ट्रेक्टर, जानवर व अन्य साधन अपने खेत पर लाती ले जाती चली आ रही है। जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में ए से बी अंको से प्रदर्शित किया गया है। उक्त रास्ते का उपयोग—उपभोग प्रार्थीया वक्त आराजी खरीद से शान्तिपूर्वक तरीके से करती चली आ रही है परन्तु गावं के कुछ लोगों ने उक्त ख0नं0 1424 व 1427 / 2575 की बीड भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा करके रास्ता बन्द कर दिया जिससे प्रार्थीया के खेत पर कृषि यंत्र एवं आने जाने का संकट उत्पन्न हो गया है। खाता संख्या 1 की दो नकल जमाबन्दीयों प्रार्थना पत्र के साथ में संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थीया के स्वामित्व की आराजी पर गांव के लोगों द्वारा कब्जा कर उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थीया अपने स्वामित्व की आराजी पर

आने जाने से वंचित हो जावेगी। जिससे प्रार्थीया समय पर अपने खेत को नहीं हंकवा सकेगी, सिंचाई नहीं कर सकेगी तथा आराजी पडत रह जावेगी तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थीया को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं है तथा प्रार्थीया को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। अतः प्रार्थीया प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करती है कि प्रार्थीया को अपने स्वामित्व की आराजी पर आने जाने हेतु ख0नं0 1424 व 1427/2575 के रकबे में से 4 मीटर चौडे रास्ते का उपयोग–उपभोग पूर्व की भांति ए से बी के उपयोग में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाले। प्रार्थीया रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा करवाने को तैयार हैं विवादग्रस्त रास्ता एवं आराजी वाके ग्राम माल बडौरा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है जिसका क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थीया पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थीया प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करती है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया को ग्राम बडोरा में उसके स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 101 के ख0नं0 1427 का रकबा 1.45 है0 पर आने जाने का स्थाई रास्ता 4 मीटर चौडा ख0नं0 1424 व ख0नं0 1427/2575 की बीड की भूमि में होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त रास्ता दर्ज करने के आदेश तहसीलदार अटरू को प्रदान करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/1806 दिनांक 27.12.2021 से मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि ग्राम बडोरा की आराजी ख0नं0 1427 रकबा 1.45 है0 आराजी कोशल्याबाई पत्नि गिरिराजप्रसाद जाति धाकड़ सा. करजूना के नाम खाते दर्ज है। मुताबिक नक्शा ख0नं0 1427 तक पहुंचने के लिये रास्ता दर्ज नहीं है। ख0नं0 1427 के सहारे ख0नं0 1424 रकबा 0.42 है0 किस्म बीड व ख0नं0 1427/2575 रकबा 0.25 है0 किस्म बीड सरकारी भूमि पडती है जो ख0नं0 1422 रकबा 0.56 ह0 किस्म गै0मु0 रास्ता तक जाती है। अतः ख0नं0 1427 तक पंहुतने के लिये ख0नं0 1424 व 1427/2575 जो की सरकारी भूमि है में से रास्ता दिया जा सकता है। ख0नं0 1424 व 1427/2575 पर अतिक्रमण करके फसल काश्त की जाती है जिनके खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा अन्य जगह से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। ख0नं0

1427 तक पंहुचने के लिये ख0नं0 1424 व 1427/2575 में से जो रास्ता दिया जायेगा उसकी लम्बाई 200 मीटर व चौडाई 4 मीटर होगी।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया को ग्राम बडोरा में उसके स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 101 के ख0नं0 1427 का रकबा 1.45 है0 पर आने जाने का स्थाई रास्ता 4 मीटर चौडा ख0नं0 1424 व ख0नं0 1427/2575 की बीड की भूमि में होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त रास्ता दर्ज करने के आदेश तहसीलदार अटरू को प्रदान करें। अभिभाषक प्रार्थीया ने निवेदन किया कि प्रार्थीया के लिये काम आने वाली सिवायचक भूमि की डी.एल.सी. दर का दुगुनी राशि जमा कराने के लिऐ तैयार है।

पत्रावली एवं तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 27.12.2021 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया की कृषि भूमि ख0नं0 1427 तक पहंचने के लिऐ कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है और प्रार्थीया लम्बे समय से इसी सरकारी भूमि पर बने परम्परागत रास्ते का उपयोग करता रहा है। उक्त सरकारी सिवायचक भूमि पर स्थानीय लागों द्वारा अवैध कब्जा कर फसल काश्त कर रखी है। अतः धारा 251 (क) की मूल भावना को ध्यान में रखते हुऐ राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार प्रार्थीया की अपनी कृषि आराजी तक पहुंच हेतु कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने, सिवायचक भूमि पर लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण करने तथा प्रार्थीया द्वारा डीएलसी. की दुगुनी राशि जमा कराने की सहमति के आधार पर प्रार्थीया की ख0नं0 1427 व ख0नं0 1427/2575 किस्म बीड में से तहसीलदार द्वारा पेश नजरी नक्शे के अनुसार 4 मीटर चौडा व 200 मीटर लम्बा रास्ता दिया जाना न्यायोचित होगा। प्रार्थीया नियमानुसार DLC की दुगनी राशि अप्रार्थी को देने के लिए तैयार है इसलिए न्यायहित में प्रार्थीया को रास्ता दिया जाना उचित होगा।

–::क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया के स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल बडौरा में खाता संख्या 101 के ख०न० 1427 का रकबा 1.45 है० तक आने–जाने हेतु तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडोरा के ख0नं0 1424 व ख0नं0 1427/2575 से होकर 200 मीटर लम्बा व

4 मीटर चौडा रास्ता (यानी 800 वर्ग मीटर) नियमानुसार DLC की दुगनी राशि अप्रार्थी को दिये जाने पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 18/05/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां